समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी, बिहार 845401
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग

E.mail id-addsscmot@gmail.com

पत्रांक......638....../सा0सु0, दिनांक......28/12/13

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर/सिकरहना/चकिया
अरेराज/रक्सौल/पकड़ीदयाल।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन निर्धन एवं भिक्षुको के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) वितरण हेतु रू0 2,52,000.00 दो लाख बावन हजार) मात्र का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0–1594 दिनांक–30.07.2013 के आलोक में राज्य के निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन, असहायक व्यक्तियों के बीच धोती, साड़ी चादर (सूती) एवं ऊनी कम्बल क्रय कर चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में वैसे ही व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण हेतु मॉग सं0–51 मुख्य शीर्ष–2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200 अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष–0002 सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण विषय शीर्ष–31–06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्र कोड–N–2235602000002 के अधीन रू0–2,52,000.00 (दो लाख बावन हजार रूपये) मात्र का उपावंटन निम्नवत किया जाता है।

क्र0	अनुमण्डल का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3
1	सदर मोतिहारी	52000.00
2	चकिया	40,000.00
3	अरेराज	40,000.00
4	रक्सौल	40,000.00
5	सिकरहना	40,000.00
6	पकड़ीदयाल	40,000.00
	कुल योग	2,52,000.00 (दो लाख बावन हजार)

2. सूती वस्त्रो एवं कम्बल का क्रय बिहार वित्त (संशोधित)नियमावली 2005 में निर्धारित क्रय प्रकियाओं के आलोक में किया जायेगा।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी आवंटित राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मोतिहारी को उपलब्ध करायेगें।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा वस्त्रों का क्रय कर उसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जायेगा। एवं वस्त्रों का वितरण करने वाले पदाधिकारियों द्वारा उसकी प्रविष्टि उनके स्टॉक/निर्गत पंजी में की जायेगी। लाभान्वितों की सूची (पता सहित) एवं अलग पंजी में संधारित की जायेगी।

आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुलग्न–I में वर्णित संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को ‹हार कोषागार संहिता का नियम 84 के अन्तर्गत शक्ति प्रदान किया जाता है।

6. इस कार्यक्रम के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होगें।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अविलम्ब दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 638 दिनांक 28/12/13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, आई0टी0 मोतिहारी को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।